

कार्यालय, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, दरभंगा।

पत्रांक-291/2015पी0पी0-

959

/परि०, दिनांक:- 6-12-2018

निम्नांकित तालिका में अंकित वाहन स्वामी द्वारा स्टैज कैरेज परमिट प्रतिस्थापन हेतु दाखिल आवेदन की स्वीकृति प्रदान की गई है। परमिट के प्रतिस्थापित करने के पूर्व वाहन पर निम्नांकित कंडिकाओं में अंकित विवरण एवं अद्यतन आवश्यक मान्य कागजात जमा करना आवश्यक है:-

1. स्टैजवार दूरी एवं सरकार द्वारा निर्धारित भाड़ा तालिका एवं सम्पूर्ण समय-सारणी का वाहन पर अंकन(दरवाजे के पास बाहरी तरफ)
2. 15 कि०ग्रा० भार तक का समान प्रति यात्री निःशुल्क ढोये जाने संबंधी जानकारी का वाहन के भीतर एवं बाहरी भाग बॉडी के बाँये तरफ पर बड़े-बड़े अक्षरों में साफ-साफ अंकित करना।
3. दाखिल आवेदन के अनुसार मार्ग का नाम भाया सहित वाहन विण्ड स्क्रीन/शीशे के उपरी भाग एवं वाहन के पीछे भाग पर वाहन के रंग से विषम चमकीले रंग से मोटे-मोटे अक्षरों में अंकित करना।
4. परमिट संख्या एवं वैधता की तिथि (आगे व पीछे भी) तथा निर्गत करने वाले प्राधिकार के नाम का अंकन।
5. वाहन में प्रथम चिकित्सा बॉक्स(First Aid Box) का संधारण व अंकन।
6. महिलाएँ एवं दिव्यांग यात्रियों के लिए आरक्षित सीटों की जानकारी का अंकन।
7. वाहन में शिकायात पुस्तिका उपलब्ध रहने संबंधी सूचना का अंकन।
8. वाहन चालक एवं कन्डक्टर के नाम का अंकन अनुज्ञप्ति संख्या सहित। (चालक सीट के दाहिने वाहन के बाहरी एवं वाहन के अंदर शिकायात पुस्तिका अंकन वाले स्थान के पास)
9. आवेदन के प्रस्तावित मार्ग में पड़ने वाले संबंधित पुलिस थाना का नाम दुरभाष संख्या/मोबाईल नंबर वाहन के पीछे भाग (बाहरी तरफ) वाहन के रंग से विषम चमकीले रंग में अंकन।
10. वाहन के चारों तरफ रिफ्लेक्टर टेप चिपका होना।

क्रम सं०	वाहन स्वामी का नाम	परमिट से अच्छादित वाहन संख्या	प्रतिस्थापन हेतु वाहन
1	2	3	4
1	श्री राजीव रंजन	BR33D-0506	BR33F-5434

अतः उपरोक्त तालिका से संबंधित वाहन स्वामियों को सूचित किया जाता है कि सूचना निर्गत तिथि से 30 दिनों के अंदर उपरोक्त कंडिकाओं में उल्लेखित विवरण को वाहन में अंकित कराते हुए साक्ष्य के तौर पर कम से कम 8(आठ) स्वहस्ताक्षरित फोटोग्राफ एवं वाहन का सभी अद्यतन मान्य कागजात एवं परमिट की मूल प्रति कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित करें। ताकि वाहन का भौतिक निरीक्षणोपरांत परमिट प्रतिस्थापन निर्गत किया जा सके।

ह०/-

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, दरभंगा।

ज्ञापानक-1-3/2016- 959 /परि०, दिनांक- 6-12-2018

प्रतिलिपि:-संबंधित वाहन स्वामी को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:-जिला परिवहन पदाधिकारी एवं मोटरयान निरीक्षक, दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, दरभंगा से अनुरोध है कि एन०आई०सी, दरभंगा के वेबसाईट पर आर०पी०ए०, लिंक पर अपलोड करने का कष्ट करें। उक्त सूचना Soft Copy में संलग्न है।

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, दरभंगा।

कार्यालय, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, दरभंगा।

पत्रांक-02/2014पी0पी0-

/परि0, दिनांक:-

आदेश

निम्नांकित तालिका में अंकित वाहन स्वामियों द्वारा स्टैज कैरेज परमिट नवीकरण हेतु दाखिल आवेदन की स्वीकृति प्रदान की गई है। परमिट के नवीकरण करने के पूर्व वाहन पर निम्नांकित कंडिकाओं में अंकित विवरण एवं अद्यतन आवश्यक मान्य कागजात जमा करना आवश्यक है:-

1. स्टैजवार दूरी एवं सरकार द्वारा निर्धारित भाड़ा तालिका एवं सम्पूर्ण समय-सारणी का वाहन पर अंकन(दरवाजे के पास बाहरी तरफ)
2. 15 कि०ग्रा० भार तक का समान प्रति यात्री निःशुल्क दिये जाने संबंधी जानकारी का वाहन के भीतर एवं बाहरी भाग बॉडी के बाँये तरफ पर बड़े-बड़े अक्षरों में साफ-साफ अंकित करना।
3. दाखिल आवेदन के अनुसार मार्ग का नाम भाया सहित वाहन विण्ड स्क्रीन/शीशे के उपरी भाग एवं वाहन के पीछे भाग पर वाहन के रंग से विषम चमकीले रंग से मोटे-मोटे अक्षरों में अंकित करना।
4. परमिट संख्या एवं वैधता की तिथि (आगे व पीछे भी) तथा निर्गत करने वाले प्राधिकार के नाम का अंकन।
5. वाहन में प्रथम चिकित्सा बॉक्स(First Aid Box) का संधारण व अंकन।
6. महिलाएँ एवं दिव्यांग यात्रियों के लिए आरक्षित सीटों की जानकारी का अंकन।
7. वाहन में शिकायात पुस्तिका उपलब्ध रहने संबंधी सूचना का अंकन।
8. वाहन चालक एवं कन्डक्टर के नाम का अंकन अनुज्ञप्ति संख्या सहित। (चालक सीट के दाहिने वाहन के बाहरी एवं वाहन के अंदर शिकायात पुस्तिका अंकन वाले स्थान के पास)
9. आवेदन के प्रस्तावित मार्ग में पड़ने वाले संबंधित पुलिस थाना का नाम दुरभाष संख्या/मोबाईल नंबर वाहन के पीछे भाग (बाहरी तरफ) वाहन के रंग से विषम चमकीले रंग में अंकन।
10. वाहन के चारों तरफ रिफ्लेक्टर टेप चिपका होना।

क्रम सं०	वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	आवेदन की तिथि	मार्ग
1	2	3	4	
1	श्रीमती इन्द्रासन देवी	BR06PB-8234	02.11.2018	मधुबनी से मिठापुर बस स्टैंड पटना

अतः उपरोक्त तालिका से संबंधित वाहन स्वामियों को सूचित किया जाता है कि सूचना निर्गत तिथि से 30 दिनों के अंदर उपरोक्त कंडिकाओं में उल्लेखित विवरण को वाहन में अंकित कराते हुए साक्ष्य के तौर पर कम से कम 8(आठ) स्वहस्ताक्षरित फोटोग्राफ एवं वाहन का सभी अद्यतन मान्य कागजात एवं परमिट की मूल प्रति कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित करें। ताकि वाहन का भौतिक निरीक्षणोपरांत परमिट नवीकृत किया जा सके।

ह०/-

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, दरभंगा।

ज्ञापांक-1-3/2016-

960

/परि०, दिनांक-

6-12-2018

प्रतिलिपि:-संबंधित वाहन स्वामी को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:-जिला परिवहन पदाधिकारी एवं मोटरयान निरीक्षक, दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-डी०आई०ओ०, एन०आई०सी०, दरभंगा से अनुरोध है कि एन०आई०सी०, दरभंगा के बेवसाईट पर आर०टी०ए०, लिंक पर अपलोड करने का कष्ट करें। उक्त सूचना की Soft Copy में संलग्न है।

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, दरभंगा।

कार्यालय, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, दरभंगा।

पत्रांक-01-3/2016-

/परि०, दिनांक:-

आदेश

निम्नांकित तालिका में अंकित वाहन स्वामियों द्वारा स्टैज कैरेज परमिट नवीकरण हेतु दाखिल आवेदन की स्वीकृति प्रदान की गई है। परमिट के नवीकरण करने के पूर्व वाहन पर निम्नांकित कंडिकाओं में अंकित विवरण एवं अद्यतन आवश्यक मान्य कागजात जमा करना आवश्यक है:-

1. स्टेजवार दूरी एवं सरकार द्वारा निर्धारित भाड़ा तालिका एवं सम्पूर्ण समय-सारणी का वाहन पर अंकन(दरवाजे के पास बाहरी तरफ)
2. 15 कि०ग्रा० भार तक का समान प्रति यात्री निःशुल्क ढोये जाने संबंधी जानकारी का वाहन के भीतर एवं बाहरी भाग बॉडी के बॉये तरफ पर बड़े-बड़े अक्षरों में साफ-साफ अंकित करना।
3. दाखिल आवेदन के अनुसार मार्ग का नाम भाया सहित वाहन विण्ड स्क्रीन/शीशे के उपरी भाग एवं वाहन के पीछे भाग पर वाहन के रंग से विषम चमकीले रंग से मोटे-मोटे अक्षरों में अंकित करना।
4. परमिट संख्या एवं वैधता की तिथि (आगे व पीछे भी) तथा निर्गत करने वाले प्राधिकार के नाम का अंकन।
5. वाहन में प्रथम चिकित्सा बॉक्स(First Aid Box) का संधारण व अंकन।
6. महिलाएँ एवं दिव्यांग यात्रियों के लिए आरक्षित सीटों की जानकारी का अंकन।
7. वाहन में शिकायात पुस्तिका उपलब्ध रहने संबंधी सूचना का अंकन।
8. वाहन चालक एवं कन्डक्टर के नाम का अंकन अनुज्ञप्ति संख्या सहित। (चालक सीट के दाहिने वाहन के बाहरी एवं वाहन के अंदर शिकायात पुस्तिका अंकन वाले स्थान के पास)
9. आवेदन के प्रस्तावित मार्ग में पड़ने वाले संबंधित पुलिस थाना का नाम दुरभाष संख्या/मोबाईल नंबर वाहन के पीछे भाग (बाहरी तरफ) वाहन के रंग से विषम चमकीले रंग में अंकन।
10. वाहन के चारों तरफ रिफ्लेक्टर टेप चिपका होना।
11. परमिट के शर्त के अनुसार दैनिक सेवा परिचालन करने संबंधी मासिक विवरणी समर्पित नहीं करने के कारण मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा-86(5) में निहित प्रावधान के तहत मो० 5000.00 (पाँच हजार) रुपये का दण्ड अधिरोपित किया गया है। अतएव अधिरोपित दण्ड की राशि OGRAS के माध्यम से बैंक में जमा कर चलान की मूल प्रति कार्यालय में समर्पित करें।

क्रम सं०	वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	आवेदन की तिथि	मार्ग
1	2	3	4	
1	श्री मिश्रीलाल साह	BR06PA-2824	05.06.2018	करिऔत से दरभंगा
2	श्री राकेश कुमार झा	BR06PB-7551	17.11.2018	लौकहा से मिठापुर बस स्टैंड पटना
3	श्री चन्द्रकिशोर सिंह	BR06PB-8824	06.11.2018	लहेरियासराय से कुशेश्वरस्थान
4	श्रीमती माला देवी	BR07P-2589	06.11.2018	लहेरियासराय से कुशेश्वरस्थान
5	श्री सुरेश कुमार	BR06PB-7351	17.11.2018	जयनगर से पटना
6	श्रीमती रूची शुक्ला	BR06PB-5705	03.11.2018	कोईलख से पटना
7	श्रीमती रूची शुक्ला	BR06PC-8706	03.11.2018	कुशेश्वरस्थान से पटना
8	श्रीमती रूची शुक्ला	BR06PB-5805	03.11.2018	मधवापुर से पटना
9	श्री रेवती रमण मिश्र	BR06PB-6246	26.04.2018	दरभंगा से तरडीहा
10	मो० मोईम	BR7P-2532	06.11.2018	कुशेश्वरस्थान से लहेरियासराय

अतः उपरोक्त तालिका से संबंधित वाहन स्वामियों को सूचित किया जाता है कि सूचना निर्गत तिथि से 30 दिनों के अंदर उपरोक्त कंडिकाओं में उल्लेखित विवरण को वाहन में अंकित कराते हुए साक्ष्य के तौर पर कम से कम 8(आठ) स्वहस्ताक्षरित फोटोग्राफ एवं वाहन का सभी अद्यतन मान्य कागजात एवं परमिट की मूल प्रति कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित करें। ताकि वाहन का भौतिक निरीक्षणोपरांत परमिट नवीकृत किया जा सके।

ह०/-

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, दरभंगा।

ज्ञापांक-1-3/2016- 961 /परि०, दिनांक- 6-12-2018

प्रतिलिपि:-संबंधित वाहन स्वामी को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:-जिला परिवहन पदाधिकारी एवं मोटरयान निरीक्षक, दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-डी०आई०ओ०, एन०आई०सी०, दरभंगा से अनुरोध है कि एन०आई०सी०, दरभंगा के बेवसाईट पर आर०टी०ए०, लिंक पर अपलोड करने का कष्ट करें। उक्त सूचना की Soft Copy में संलग्न है।

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, दरभंगा।